दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17–M–GS2

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Mukesh Kumar Lunayat

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 02 / 30-07-2017

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]:

0	2	5	5	9	0	5

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): HINDI

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Mukesh

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

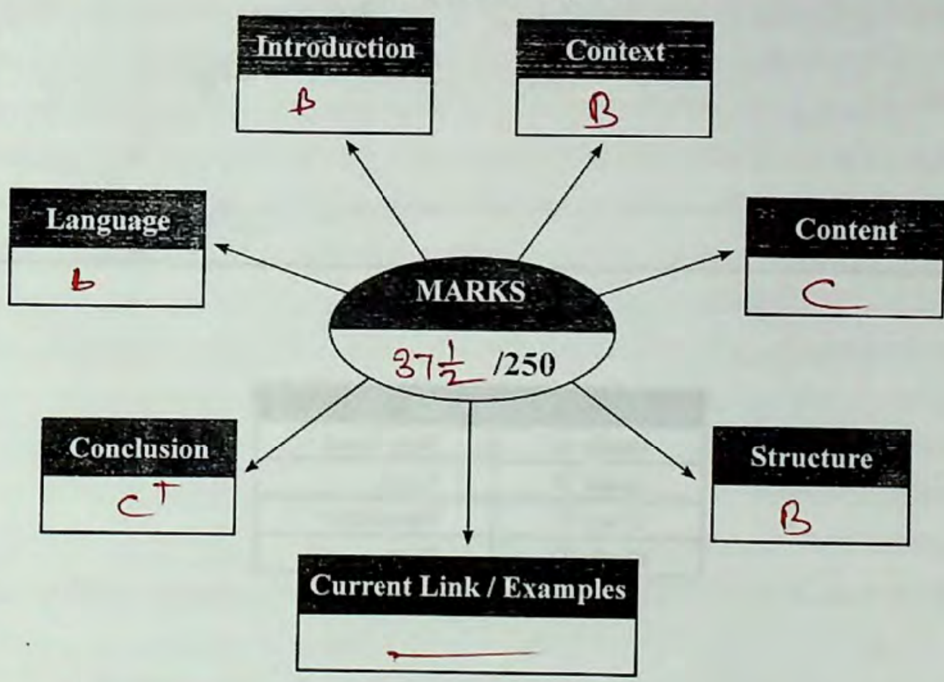

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।
- विषय वस्तु और उन्नत करने का प्रयास करें।
-
-

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

कृपया इस स्थान [...] संख्या के अतिरि[...] न लिखें।

(Please do no[...] anything exce[...] question num[...] this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

हाल ही के दिनों में सेंसर बोर्ड द्वारा प्री-सेंसरशिप की घटनाओं में वृद्धि ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। इस मुद्दे में समाहित विभिन्न पक्ष निम्नलिखित हैं:-

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसी के साथ अनुच्छेद 19(2) में युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था है। स्पष्ट है केवल 19(2) में लिखित आधारों पर ही अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

परंतु अनेक मामलों में सेंसर बोर्ड द्वारा पूर्व-सेंसरशिप इन संवैधानिक निर्बंधनों के बजाय एक विशेष विचारधारा व पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। जो इस अधिकार का विरोधी है।

II. पुन: किसी भी व्यक्ति को किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार है। अयुक्तियुक्त प्री-सेंसरशिप व्यक्ति के पेशे को अपनाने के अधिकार को भी सीमित करती

भारत में सेंसरशिप की पृष्ठभूमि की चर्चा करें

के अंतर्गत प्रेस और फिल्मों का उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(iii) चूंकि फिल्में व अन्य रचनात्मक कलाएं व्यक्ति के विशिष्ट बौद्धिक अधिकार हैं अतः पूर्व-सेंसरशिप का विचार इसके बौद्धिक अधिकारों का भी विरोध करता है।

आगे का रास्ता

(i) सेंसरशिप के संदर्भ में श्याम-बेनेगल समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए।

(ii) सिनेमा भारतीय संस्कृति व जीवन के विभिन्न पहलुओं को जनता के सामने लाकर एक तरह से समाज के लिए दर्पण का कार्य करता है।

(iii) पुनः यदि किसी विशेष फिल्म से राष्ट्र की एकता व अखंडता को चोट पहुंचती है तो इस पर प्री-सेंसरशिप लगाना युक्तियुक्त है क्योंकि स्वयं अनुच्छेद 19(2) में राष्ट्र की एकता व अखंडता को एक युक्तियुक्त प्रतिबंध माना गया है।

परन्तु सामान्य तौर पर जहाँ तक हो सके प्री-सेंसरशिप के अतिशय व अयुक्तियुक्त, पूर्वाग्रह आधारित प्रयोग से बचना चाहिए वरन् यह कला, सृजनशीलता एवं नवाचार हेतु घातक सिद्ध हो सकता है।

(मूल्यांकनकर्ता की टिप्पणी: उदाहरणों द्वारा [illegible] का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करें कि किस प्रकार प्री-सेंसरशिप मौलिक अधिकारों एवं कॉपीराइट का उल्लंघन करता है। यथा → उड़ता पंजाब, → [illegible], → लिपस्टिक अंडर माई बुर्का इत्यादि)

2

Copyright - Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। जब तक कि यह मूल ढाँचे का विरोध न करे।

संविधान संसद को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जिनमें विधायी शक्तियाँ सबसे प्रमुख है साथ ही साथ उन्मुक्तियाँ एवं संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किये है। परन्तु कहीं न कहीं भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा प्रदत्त इन उन्मुक्तियों व शक्तियों का पूर्ण सामर्थ्य में प्रयोग नहीं हो पाया है। यह संसद के दोनों सदनों की कामकाज की प्रणाली व उत्पादकता पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है।

हाल ही में संसद के कामकाज पर नियंत्रण एवं इसे सुगम बनाने के लिए एक निगरानी आयोग की आवश्यकता की माँग की गई है।

इसके निम्न आधार है:-

संसदीय विशेषाधिकारों की स्पष्ट चर्चा करें

क्या → सामूहिक → व्यक्तिगत

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

(i) पिछले कुछ दशकों में भारतीय संसद की उत्पादकता निरंतर गिरती जा रही है।

(ii) संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष द्वारा कामकाज में अवरोध डालना अब आमबात हो गयी है।

(iii) विधायिका में होने वाले अवरोधों की वजह से सरकार कार्यपालिका की "प्रत्यायोजित विधान" शक्ति पर अधिक निर्भर होती जा रही है। यह कई महत्वपूर्ण मामलों में संसद की निरीक्षण व संतुलन की शक्ति से संसद को वंचित कर देता है।

(iv) बजट की अनुदान मांगों पर गिलोटिन प्रस्ताव जैसे साधन अब बढ़ते जा रहे हैं।

(v) सदन में सदस्यों की अनुपस्थिति भी एक अन्य मुद्दा है।

अतः अपने सदन के सुचारु कामकाज के लिए एक निगरानी आयोग आवश्यक है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

निगरानी आयोग के गठन के पक्ष/विपक्ष में वर्तमान विधमान प्रावधानों, धार्मिक संस्था, नियमों, संसदीय समितियों इत्यादि का उल्लेख करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता की चर्चा करें

गया है। बेहतर होगा यदि संसद स्वतः संज्ञान लेते हुए संविधान में संशोधन करते हुए एक पारदर्शी, समावेशी एवं सभी दलों की सहमति आधारित निगरानी आयोग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करे।

2½

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1	1	.25	—	—	
Grade	B	C	C	B			

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

1969 की गाडगिल-मुखर्जी योजना के तहत भारतीय सरकार द्वारा कुछ निश्चित आधारों पर किसी राज्य विशेष को विशेष दर्जा दिया जाता है। इन मानदंडों में कठिन भौगोलिक क्षेत्र, दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा, पहाड़ी क्षेत्र, जनसंख्या का अधिकांश पिछड़ा होना आदि मानदंड प्रमुख हैं।

अधिकांश जनसंख्या जनजाति

ध्यातव्य है कि वर्तमान में सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर के 7 राज्यों समेत कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है।

विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्यों की चर्चा करें

समय-समय पर अनेक राज्य सरकारों द्वारा विशेष राज्य की माँग की जाती रही है एवं जनांदोलनों को भड़काने का प्रयास किया जाता रहा है। इस संदर्भ में समाहित विभिन्न पक्ष निम्न हैं:-

i) कुछ आलोचकों का मत है कि विशेष राज्य का विचार संघीय-व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी विशेष राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में विशिष्ट व्यवहार प्रदान करता है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

(ii) विशेष राज्य की माँग क्षेत्रीयवाद को भी बढ़ावा देती है। कई राज्यों में इस आधार पर आंदोलनों को बढ़ावा दिया गया। यह राज्यों में परस्पर वैमनस्यता को बढ़ाता है।

विशेष राज्य होने पर राज्य को होने वाले लाभ की चर्चा करें।

[यथा - क्षेत्रीय असमानता
↳ अनुदान
↳ ऋण आदि]

परन्तु उपरोक्त विचार को उचित नहीं माना जा सकता। वस्तुतः प्रत्येक राज्य की सामाजिक-आर्थिक-भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न-प्रकार की है। उदाहरणतः पहाड़ी राज्यों में, मैदानी राज्यों की तुलना में आजीविका के सीमित साधन उपलब्ध है। अतः वहाँ के लोगों के कल्याण हेतु केन्द्र द्वारा विशिष्ट उपाय आवश्यक हो जाते है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत शेष भारत की तुलना में विकास की मुख्यधारा में पिछड़ गया है। अतः यहाँ भी कुछ विशिष्ट रियायतें आवश्यक हो जाती है।

हालिया के कुछ घटनाओं की चर्चा करते हुए निष्कर्ष लिखें।

यथा → जम्मू कश्मीर
↳ नागालैण्ड
↳ असम
↳ प. बंगाल
इत्यादि

आगे का रास्ता
इसलिए विशेष राज्य का दर्जा युक्तिसंगत

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

है परन्तु इसकी परिभाषा में कुछ संकीर्णताएँ हैं। जिसकी वजह से विदर्भ, रायलसीमा, सौराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड आदि अत्यंत पिछड़े क्षेत्र विशिष्ट व्यवहार आवश्यक होते हुए भी उससे वंचित हो जाते हैं।

1½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks		½	1				
Grade		D	C				

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा के विशेष अनुरोध पर संसद अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है।

न्यायिक क्षेत्र में भी निम्नलिखित चुनौतियाँ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन को वर्तमान समय की आवश्यकता बनाते हैं:-

(i) भारत में लगभग सभी उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की सीटें रिक्त पड़ी हैं।

(ii) सम्पूर्ण भारत में करीब 3.5 करोड़ से भी अधिक मामले लंबित पड़े हैं। लगभग प्रत्येक स्तर पर न्यायिक कोर्ट कार्यभार के बोझ की समस्या से ग्रस्त है।

(iii) SC व HC में न्यायाधीशों के चयन की कॉलेजियम व्यवस्था में भी पारदर्शिता का अभाव है। कॉलेजियम व्यवस्था को नियुक्ति की वस्तुनिष्ठ एवं मैरिट-प्रहरी व्यवस्था नहीं माना जा सकता है।

(iv) कॉलेजियम की अपारदर्शिता आधारित प्रणाली भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देती है।

(v) मैमोरेंडम ऑफ प्रोसिजर पर सरकार व न्यायपालिका में मतभेद बना है।

कहा जाता है कि देरी से प्राप्त न्याय, न्यायन

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना संबंधी विभिन्न संस्थाओं की अनुशंसाओं की चर्चा करें

संक्षेप में चर्चा करें

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के समर्थन पक्षों एवं चुनौतियों की चर्चा करें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्राप्त होने के समान है। अतः AIJS का विचार निर्विवाद तीव्र व निष्पक्ष न्याय प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

1/2

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

यद्यपि विशिष्ट उद्देश्यों को लक्षित कर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना संबंधित क्षेत्र में तीव्र व प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने का एक प्रभावी उपकरण है परन्तु प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती है / यथा:-

i) अनेक मामलों में देखा गया है कि एक ही विषय पर दो या दो से अधिक प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकारों में आपस में टकराव हो रहा

प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन एवं भूमिका के संदर्भ में चर्चा कीजिए
यथा - 323 (A)
→ प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम - 1988
u सेवा नियुक्ति शर्तें मामलों में ... विवाद ...

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

है। यथा सेबी व इरडा

(ii) पुनः स्पष्ट मैंडेट के अभाव में कई बार प्राधिकरण शीघ्र न्याय प्रदान करने के बजाय उसमें देरी कर देते हैं। उदाहरणतः वोडाफोन का टैक्स मामला

(iii) प्राधिकरणों की अंधाधुंध स्थापना एवं इनकी ~~अधिकता~~ में संख्या विभिन्न प्रकार की प्रक्रियात्मक प्रशासनात्मक समस्याओं को उत्पन्न करती है। उदाहरणतः वर्तमान में अनेक न्यायाधिकरण ऐसे हैं जिनमें आवश्यक नियुक्तियां तक नहीं की गई है।

(iv) अनेक वर्षों तक निर्णय न दे पाना उदाहरणतः नदी विवाद बोर्ड हेतु स्थापित न्यायाधिकरणों द्वारा दशकों में अधिनियम निर्णय न दे पाना

आगे का रास्ता

वस्तुतः एक विशेष क्षेत्र में सभी संबंधित न्यायाधिकरणों को समन्वित कर एकल न्यायाधिकरण का विचार अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। उदाहरणतः है कि अन्तर-राज्यीय नदी विवाद में सरकार एकल न्यायाधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है।

• बड़ी संख्या में उच्च न्यायालयों में अपीलों की वृद्धि
→ पर्याप्त आधारभूत की कमी
→ पैतृक मंत्रालय के हस्तक्षेप की भी चर्चा करें
→ सभी न्यायाधिकरणों को एक ही मंत्रालय के अंतर्गत
→ स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी उल्लेख करें

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks							
Grade							

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

चुनावों के लिए वित्त पोषण से संबंधित नियमों एवं उपायों में व्याप्त स्पष्टता, पारदर्शिता व वस्तुनिष्ठता के अभाव ने भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दिया है जो देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का सबसे प्रमुख कारण है। हाल ही के दिनों में चुनाव के वित्त पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं :- जो निम्नलिखित हैं :-

ADR रिपोर्ट का भी उल्लेख करें।

1. ~~₹2000 से अधिक का दान नकद में ही पर~~ अब कोई भी राजनीतिक दल ₹2000 से अधिक नकद के रूप में दान या फंडिंग स्वीकार नहीं कर सकता।
2. इससे अधिक की फंडिंग हेतु राजनीतिक दलों को कैशलेस ट्रांजेक्शन एवं चेक पर निर्भर रहना पड़ेगा एवं उनका एक संगठित व स्पष्ट डाटा रखना पड़ेगा।

राजनैतिक दलों को समय सीमा के भीतर आयकर जमा करने का भी उल्लेख करें।

3. चुनावी फंडिंग हेतु निर्वाचन आयोग ने "चुनावी-बांड" जारी करने का प्रस्ताव

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

किया है। अब कोई भी व्यक्ति एक निश्चित लिमिट पर चुनावी बॉन्ड में निवेश कर सकेगा।

निसंदेह उपरोक्त कदम चुनाव के वित्त पोषण हेतु राजनीतिक दलों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

अन्य उपाय

(i) चुनाव के वित्त पोषण के संदर्भ में एक विकल्प राज्य द्वारा स्पान्सर्ड चुनावों के आयोजन का है।

(ii) एक अन्य उपाय राष्ट्रीय चुनाव फंड की स्थापना की जा सकती है। राजनीतिक पार्टियों को उनके पिछले चुनाव के परिणाम के अनुपात में वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अन्य सभी उपायों से राजनीतिक दलों के वित्तीयन पर पाबंदी लगाई जा सकती है।

(iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर चुनावी खर्च व वित्तीयन के अवैध तरीकों का इस्तेमाल को अनुलंबन भविष्य में चुनाव लड़ने पर पाबंदी हेतु आधार बनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में चुनौतियों की भी चर्चा करें, यथा राजनैतिक दलों का RTI के दायरे में न होना व कुल चंदे की अधिकतम सीमा इत्यादि

अन्य बिन्दुओं का भी उल्लेख करें, यथा
• कारपोरेट के चुनाव चंदा को नियंत्रित करना
• RTI के दायरे में लाना
• 2000 से कम की ... इत्यादि

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright - Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द) 12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

रियल स्टेट आजादी के बाद से काला धन खपाने का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है क्योंकि इस संदर्भ में सरकारी विनियमन व नियंत्रण में पारदर्शिता एवं स्पष्टता का अभाव रहा है।

सरकार द्वारा मई 2017 से लागू रियल स्टेट विनियमन व विकास अधिनियम इस संदर्भ में भ्रष्टाचार को रोकने व उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।

उपभोक्ता अधिकार

- अब आवासीय योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में संबंधित परियोजना के मालिक द्वारा बैंक में एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा व आवश्यक धनराशि का एक निश्चित प्रतिशत परियोजना पर कार्य शुरू करने से पहले जमा करना पड़ेगा।

(ii) आगामी 5 वर्षों तक परिचालनात्मक खर्चों के प्रायोजक ही वहन होंगे, न कि उपभोक्ता

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन रिपोर्ट का भी उल्लेख करें

अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम की विशेषताओं एवं चुनौतियों की स्पष्ट चर्चा करें

यथा -> पंजीकरण अनिवार्य
-> जुर्माना
-> सजा का प्रावधान
-> सूचनाओं को [illegible] इत्यादि

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

प्रस्तावना

1) अब किसी भी प्रकार के लिए स्टेट ट्रांजेक्शन केवल ₹3 लाख तक ही नकद रूप में हो सकेंगे। इससे अधिक के भुगतान हेतु वैकल्पिक उपायों का सहारा लेना पड़ेगा। जो कि इन लेन-देनों को सरकारी नियंत्रण व विनियमन में लाना पड़ेगा।

संपत्ति की रजिस्ट्री हेतु आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना, यह व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत अन्य सभी संपत्तियों की जानकारी को प्राप्त करने में मदद करेगा।

संरक्षण में अधिनियम की भूमिका हेतु
↳ व्यापारिक गतिविधियों का मानकीकरण
↳ जागरूकता में वृद्धि
↳ काले धन पर नियंत्रण
↳ जवाबदेहिता व पारदर्शिता इत्यादि भी

1½

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

9. अनुच्छेद 142, पूर्ण न्याय के नाम पर किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Article 142 provides Supreme Court a virtual license to intervene in any matter in the name of complete justice. Critically analyze. (250 words) 12.5

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आदेश या डिक्री जारी करने हेतु अधिकृत है।

वस्तुत: सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त यह अधिकार साधारण परिस्थितियों में किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक प्रभावकारी अधिकार प्रदान करता है। उदाहरणार्थ: इसका प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जेलों में कैदियों की दशा सुधारने हेतु प्रभावकारी आदेश जारी किए।

परन्तु हाल ही में बाबरी मस्जिद मामले में संयुक्त कार्यवाही, सहाबुद्दीन के मामले आदि में सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त अधिकार पर प्रश्नचिह्न उठने लगे हैं:- इसमें समाहित मुद्दे निम्न हैं:-

1. शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध:- उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद-142 का अतिशय प्रयोग शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है जो कि संविधान के मूल ढांचे का एक भाग भी

सर्वोच्च न्यायालय की संक्रियता की कुछ मामलों में आलोचना भी हुई है। पृष्ठभूमि की चर्चा करें।

अन्य उदाहरणों यथा - ताजमहल के संरक्षण - भोपाल गैस त्रासदी इत्यादि की भी चर्चा करें।

राष्ट्रगान, BCCI, आधार आदि मुद्दे का भी उल्लेख करें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

(ii) न्यायिक सक्रियता के बजाय न्यायिक अतिकार्यवाही :-

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं अपने एवं पूर्ववर्ती आदेश में कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद-142 का प्रयोग केवल तभी करना चाहिए जब कोई भी वैधानिक उपाय शेष न हो।

A-142 का अतिशय प्रयोग स्वयं उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है।

(iii) A-142 का अतिशय प्रयोग नागरिकों के मूलाधिकारों को भी प्रभावित करता है। — कैसे स्पष्ट करें

स्वेच्छाचारिता में वृद्धि की संभावना का भी उल्लेख करें।

आगे का रास्ता :-

(i) विधायिका को इस संदर्भ में संबंधित मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु 'श्वेत-पत्र' जारी करना चाहिए ताकि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 142 का प्रयोग ही न करना पड़े।

(ii) अन्य वैधानिक उपायों के उपलब्ध न होने पर ही इसका प्रयोग करना न्यायसंगत होगा।

3½

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहाँ विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही में सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के उपभोग हेतु आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के इस निर्णय की सिविल समाज के सदस्यों द्वारा आलोचना की गई है। वस्तुतः सरकार के इस निर्णय का मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा।

[margin: वर्तमान [illegible] परिस्थितियों का भी उल्लेख करें। यथा -> निरक्षरता, जागरूकता की कमी, डिजिटल डिवाइड]

आवश्यक क्यों?

(i) चूंकि आधार कार्ड बायोमैट्रिक पहचान पर आधारित है अतः यह वास्तविक उपभोक्ता या डी.बी.टी. स्कीमों के संदर्भ में वास्तविक लाभार्थी की पहचान करने में मदद करेगा। उदाहरण जैम त्रिनिटी

(ii) यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा क्योंकि अब लाभ सीधे महिला सदस्य को मिल सकेंगे।

(iii) सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करेगा।
उदाहरण: क) यह कर-चोरी को रोकने में सक्षम होगा।
ख) विभिन्न विभागों यथा प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर से संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित हो सकेगा।
ग) कर-वंचना को रोकने हेतु पैन-कार्ड से आधार से जोड़ना प्रभावी होगा।

[margin: व्यवसाय की सुरक्षा -> डिजिटल लाभ -> डिजिटल कनेक्टिविटी इत्यादि की भी चर्चा करें]

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

विरोध क्यों?

(i) सेवाओं हेतु आधार कार्ड का अनिवार्य लिंक-अप
- वस्तुतः ऐसे देश में जहाँ ~~[illegible]~~ अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को लेकर अनभिज्ञ है। यह मानसिक भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेगा।)

(ii) पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में यह असंख्य लाभार्थियों को जो वास्तव में सेवा का लाभ लेने के पात्र है, आधार कार्ड का न होना इन्हें सेवाओं यथा DBT के लाभ से वंचित कर देगा।

(iii) कर व अन्य मामलों में यथा पैन कार्ड, आधार कार्ड का अनिवार्य लिंक-अप, सुदृढ़ नियंत्रण व विनियमन के अभाव में समानांतर अर्थव्यवस्था को भी उत्पन्न कर सकता है।

(iv) आधार कार्ड का अनिवार्य उपयोग वस्तुतः व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। (v) यह समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

आगे का रास्ता :-

(i) आधार का अनिवार्य लिंकअप उसी परिस्थिति में उपयुक्त हो सकेगा जब इस संदर्भ में

इंटरनेट सेवाओं का कमज़ोर
→ विद्युत आपूर्ति की समस्या
→ बैंकिंग सेवाओं की दुरुपयोग
→ नागरिकता सर्वव्यापक नहीं इत्यादि की भी चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

उठने वाली पृच्छनात्मक व आपत्तिक चुनौतियों का समाधान किया जाए।

(ii) सरकारी नीतियों के बारे में व्यापक जागरूकता व शिक्षा, गाँवों में आधार कार्ड के उपयोग हेतु कैम्पों का आयोजन आदि जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

अत्युपयोग

3½

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1	.25	—	.25	
Grade	B	B	C	B		B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हाल ही के एन.एस.एस. आँकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी पुरुषों से कम है परन्तु अधिक चिंता का विषय है कि जहाँ नगरीय क्षेत्रों में श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। इसके पैटर्न के निम्नलिखित संभव कारण हैं :-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की श्रम भागीदारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में है। पिछले कुछ दशकों में जहाँ देशभर में स्पष्ट कृषि क्षेत्र में गिरावट आयी है, इसी के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में बढ़ते मशीनीकरण ने भी महिलाओं की श्रम भागीदारी को विपरीत रूप से प्रभावित किया है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार ने भी विशेषतः युवा महिलाओं के शिक्षा में संलग्न होने के कारण पहले की तुलना में भागीदारी में कमी आयी है।

(iii) उदारीकरण के दौर के बाद जहाँ शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए भी रोजगार

आंकड़ों का भी उल्लेख करें।

श्रम बल की वास्तविक स्थिति की चर्चा करें। यथा- अनौपचारिक अनुकूल आर्थिक दशा इत्यादि

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

के नये बीज रखते हैं, वही ग्रामीण क्षेत्रों में इन नवाचारों का अभाव रहा है। उदाहरणतः बड़े शहरों में बी.पी.ओ.

(iv) अब ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर शिक्षा व व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसरों की उपलब्धता के कारण सीमित संख्या में ही सही परन्तु गाँवों के शहरों की ओर महिला-वर्ग में भी प्रवास के लक्षण शुरू हो गए हैं।

(v) खादी व ग्रामोद्योग जैसे परंपरागत क्षेत्रों जिनमें ग्रामीण महिलाओं को अच्छी-खासी संख्या में रोजगार प्राप्त होता था, ऐसे क्षेत्रों के गिरते प्रभाव व चलन के सीमित हो जाने से भी महिलाओं को विपरीत तरीके से प्रभावित किया है।

(vi) पुनः हथकरघा के स्थान अब शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों की विद्युत संचालित हैंडलूम मिलों ने ले लिया है।

(vii) हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा शुरू विभिन्न प्रयास यथा स्किल इंडिया, स्टार्ट-अप योजना, मुद्रा योजना का प्रभाव भी मुख्यतया शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है।

आगे का रास्ता :- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं

→ पारिवारिक दायित्व
→ ... परिकल्पना
→ सुरक्षा इत्यादि भी चर्चा करें।
सराहनीय प्रयास

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हेतु कृषि के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे खादी व ग्रामोद्योग, हैण्डलूम आदि में पुनः रोज़गार के अवसर सृजित कर ही महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1½	.25	—	.25	
Grade	B	B	B	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज वस्तुतः सहिष्णु एवं धर्मनिरपेक्ष रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् 42 वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

(प्राचीन कालीन भारत में विद्यमान विभिन्न विचारधाराओं की चर्चा करें)

वस्तुतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विचार पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से इस रूप में भिन्न है कि यह राज्य व धर्म को बिल्कुल अलग-अलग न मानते हुए उनके मध्य केवल सैद्धान्तिक दूरी को बनाये रखने का समर्थन करता है।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय विचार न केवल अंतर-धार्मिक विभेद अपितु अंतरा-धार्मिक विभेद का भी विरोध करता है। हाल ही के वर्षों में धर्मनिरपेक्षता चर्चा का विषय रहा है, इसके निम्नलिखित कारण हैं:-

(i) धर्मनिरपेक्षता एक संवैधानिक मूल्य है परंतु विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने निहित

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस मूल्य के स्वरूप को ही बदल दिया है।

क्या वर्तमान संदर्भ में भारतीय धर्मनिरपेक्षता खतरे में है?

हाल ही की कुछ घटनाओं ने भारतीय धर्मनिरपेक्षता के समक्ष संकट खड़े किए हैं:-

यथा

(i) भीड़ द्वारा न्याय की घटनाएं :- हाल ही के महीनों में किसी संप्रदाय विशेष के सदस्यों को विरक्त कारणों की वजह से भीड़ द्वारा लक्षित किया जा रहा है। ~~...~~ कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा इनका समर्थन "सैद्धांतिक-दूरी" के सिद्धांत का उल्लंघन प्रतीत होता है।

(ii) ~~से~~सेक्युलर के बजाय सिकुलर (sickular) :- समाज में एक ऐसी आम धारणा बनाने का संस्थागत प्रयास किया जा रहा है जिसमें "सेक्युलरिज्म" के मूल्य को ही चुनौती दी जा रही है।

(iii) गौरक्षा के नाम पर किये जा रहे हमले, साम्प्रदायिक दंगे, दादरी हत्याकांड, मुजफ्फरपुर की घटना ये ऐसे समसामयिक

धर्मनिरपेक्षता के अनुसार धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करें

मीडिया की भूमिका स्पष्ट करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मुद्दे हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के समक्ष प्रश्न खड़े किए हैं।

हालांकि धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप पहले की तुलना में अवश्य विकृत हुआ है परन्तु इसी के साथ अभी तक राज्य द्वारा संस्थागत तौर पर किसी भी धर्म के पक्ष में अथवा अन्य के विपक्ष में झुकने का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। पुन: भारत का नागरिक समाज धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्य की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। अत: मोटे तौर पर धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक मूल्य अब न केवल भारतीय समाज अपितु भारतीय शासन प्रणाली का भी एक अभिन्न अंग बन गया है।

भारतीय लोकतंत्र की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए धर्मनिरपेक्षता की सफलता की चर्चा करें

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1	1	.25	.25	.25	✓
Grade	B	C	C	B	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून -2013 तथा अंत्योदय योजना के माध्यम से भारतीय सरकार नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिबद्ध है। एन एफ एस ए -2013 के तहत भारतीय जनसंख्या का (लगभग) 67% हिस्सा कवर किया गया है जिन्हें 3 रु किलो चावल, 2 रु किलो गेंहू व 1 रु. किलो मोटे अनाज प्रतिव्यक्ति 5 किलो के हिसाब से दिया जा रहा है।

परन्तु खाद्य-सुरक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्न है:-

(i) लाभार्थियों की पहचान का मुद्दा
(ii) कई मामलों में लाभ वास्तविक लाभार्थी को प्राप्त न होकर प्रभावशाली वर्ग तक
(iii) लीकेज की चुनौती
(iv) PDS में खामियां
(v) लगातार सूखों के कारण उत्पादन में कमी।

भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता की चर्चा करें

स्पष्ट करें कि खाद्य सुरक्षा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसानों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है

→ भंडारण
↳ परिवहन
↳ भू उत्पादकता
→ कृषि भूमि व्यावसायीकरण

[illegible] की चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा अब PDS में BAPW, JAM, त्रिनिटी आदि के प्रयोग से भ्रष्टाचार व लीकेज को कम किया जा रहा है।

पुनः खाद्य सुरक्षा का ध्यान मुख्यतः चावल व गेहूं की उपलब्धता पर केंद्रित है, मोटे अनाजों को नजरअंदाज करने के कारण जनसंख्या के बड़े हिस्से में कुपोषण, अदृश्य भुखमरी जैसी चुनौतियां सामने आ रही है।

किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय :-

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तक सभी किसानों की पहुंच को सुनिश्चित करना

(ii) किसानों की संस्थागत ऋण व्यवस्था तक पहुंच सुनिश्चित करना - KCC की पहुंच सीमांत व खेतिहर किसानों तक बढ़ाना

(iii) मॉडल लैंड लीज कानून को जल्द पारित कर भूमिमालिकों के हितों का संरक्षण करते हुए भूमिहीन किसानों या बटाईदारों को भी संस्थागत उपायों का लाभ लेने हेतु सक्षम करना

(iv) जोतों के घटते आकार को रोकने हेतु भूमि बैंक

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

जैसे नवाचारों को प्रोत्साहन

(v) सूक्ष्म सिंचाई व पर ड्रॉप मोर क्रॉप, फव्वारा-सिंचाई के प्रयोग हेतु किसानों को सब्सिडी देना

(vi) जैविक कृषि को प्रोत्साहन

(vii) न्यूनतम समर्थित मूल्य के दायरे में खाद्यान्नों के साथ साथ कुछ प्रमुख सब्जियों व हार्टिकल्चर उत्पादों को भी शामिल करना

(viii) नेशनल कृषि बाजार व e-NAM प्लेटफार्म का विस्तार शीघ्रतम देश के सभी राज्यों में करना ताकि किसानों को अपने उत्पादों का युक्तियुक्त मूल्य प्राप्त हो सके।

(ix) APMC कानूनों की जटिलताओं को सुधारना।

प्रश्न के दूसरे भाग को छोड़ दिया

$2\frac{1}{2}$

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1	1	.25	—	—	✓
Grade	B	C	C	B			

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

परंपरागत भारतीय परिवार व्यवस्था एवं उसमें हुए परिवर्तनों की चर्चा करें

संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज की एक मौलिक विशेषता रही है। वस्तुत: परिवार में तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों ~~...~~ का एक साथ रहना ~~...~~ संयुक्त परिवार कहलाता है। वहीं दूसरी ओर ~~...~~ पति-पत्नी का अपनी संतान के साथ रहना एकल परिवार का लक्षण है।

हाल ही के कुछ दशकों में भारतीय समाज में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है। इसके निम्न कारण है. -

(i) व्यक्तिवाद की अवधारणा :- उदारीकरण के बाद के दौर में वस्तुत: स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों ने समाज में व्यक्ति-विशेष की महत्ता व पहचान को भूमिका प्रदान की है। व्यक्ति अब समूह के साथ-साथ अपने हित के बारे में भी चिंतित रहता है।

(ii) संयुक्त परिवार प्रथा की कुछ खामियाँ

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ने भी एकल परिवार को बढ़ावा दिया है
यथा क) (संयुक्त) परिवार में बड़े भाई व उसकी पत्नि का निर्णय एवं अन्य मुद्दों में प्रभुत्व।
यह विशेष छोटे भाई/व उसकी पत्नी/पत्नियों में कुंठा व अपवर्जन का भाव उत्पन्न करता है। फलतः एकल परिवार हेतु आधार तैयार होता है।
ख) (संयुक्त) परिवार में यदि जिम्मेदारियों का भार कुछ ही सदस्यों पर आ जाए तो अपने पुत्र/पुत्रियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं से समझौता करना पड़ता है। यह भी कालांतर में एकल परिवार का मार्ग प्रशस्त करता है।
(iii) वैश्वीकरण के दौर में जहाँ सम्पूर्ण विश्व में अंर्तसंबंधों में वृद्धि हुई है फलतः व्यक्तिवादी पाश्चात्य विचारों ने यहाँ के लोगों को भी प्रभावित किया है।
(iv) पुनः संयुक्त परिवार की तुलना में एकल परिवार तुलनात्मक अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।

→ औद्योगीकरण
→ विवाह व्यवस्थाओं में परिवर्तन
→ नगरीकरण
→ जनाधिक्य
→ सामाजिक गतिशीलता
→ आवास की कमी
इत्यादि की भी चर्चा करें।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

वस्तुतः अनेक मामलों में एकल परिवार का प्रचलन व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रभावित न होकर केवल स्वार्थ मात्र, बुजुर्गों के देखभाल के दायित्व ~~से~~ से बचने का उपकरण एवं पश्चिम का अंध-अनुकरण मात्र रह गया है।

भारतीय सामाजिक एकजुटता → सामूहिकता → परस्पर निर्भरता का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष लिखें

2½

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	·25	1	½	·25	—	·25	
Grade	B	C	D	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Our education system has failed to integrate the rural into the larger political community. Comment. (250 words) 12.5

जहाँ औपनिवेशिक काल में तो शिक्षा औपनिवेशिक हितों को पुष्ट करने हेतु एक विशिष्ट समूह तक ही सीमित थी परन्तु आजादी के पश्चात् भी ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों दोनों में सरकार के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास नहीं किए गए।
ग्रामीण इलाकों में तो शिक्षा-प्रणाली का स्तर इतना विकृत रहा है कि करीब 2000 तक भी यह एक अधिकार न होकर मात्र विशेषाधिकार ही रहा। हालांकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल नामांकन में तो वृद्धि की है परन्तु गुणवत्ता के नाम पर अभी भी कोई विशेष सुधार नहीं आया है।
ग्रामीण समाज में आज भी मतदान, सामाजिक आचरण, रहन-सहन का तरीका, सोचने का दृष्टिकोण जाति-व्यवस्था के इर्द-गिर्द ही घूमता है। जाति भारतीय ग्रामीण समाज की एक कड़वी सच्चाई है जो लगभग सभी

भारतीय समाज में शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करें।

आजादी के पश्चात ग्रामीण साक्षरता एवं शिक्षा नीति की चर्चा करें।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

गांवों में सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक - कुछ हद तक सांस्कृतिक संबंधों का निर्धारक रही है।

ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता का निम्न स्तर इसके लिए जिम्मेदार कारकों में एक प्रमुख कारक है। ग्रामीण भारत में शिक्षा केवल एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने का जरिया मात्र मानी जाती है, न कि सामाजिक-भेदभाव व राजनीतिक एकजुटता प्राप्त कर अपने हितों को मनवाने का एक प्रभावी उपकरण।

→ शिक्षा का निजीकरण
→ कोचिंग उद्योग
→ ट्यूशन
का भी उल्लेख करें

चूंकि भारत की करीब 69% आबादी गाँवों में बसती है। मोटे-तौर पर लगभग अधिकांश गाँवों की समस्याएँ एक ही जैसी हैं, यदि गाँवों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती तो भारतीय ~~समाज~~ ग्रामीण

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समुदाय मजबूर होकर अपने हितों को लामबंद कर ~~[illegible]~~ सकता था परन्तु शिक्षा के अभाव में यह कभी भी एक बड़ा राजनीतिक समुदाय नहीं बन पाया

रा० शिक्षा नीति 2016 का उल्लेख करते हुए सुझाव दें

2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1/2	1/2	.28	—	.25	
Grade	B	D	D	B		D	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारतीय कृषि मुख्यतया मानसून पर आधारित है। कई बार विपरीत परिस्थितियों यथा अपेक्षित मानसून का अभाव, ओलावृष्टि, बाढ़, किसी रोग आदि के कारण फसल पर अचानक संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण माफ करना एक प्रमुख उपाय होता है।

परंतु सामान्य तौर पर ऋण माफी से संबद्ध मुद्दे निम्नलिखित हैं:—

ऋणमाफी उचित क्यों?

(i) अधिकांश किसानों की आय का एकमात्र साधन कृषि होता है, अतः उपरोक्त वर्णित विपरीत परिस्थितियों में ऋण माफी का अभाव किसानों को वृहत स्तर पर ऋणजाल में डुबा सकता है।

(ii) चूंकि भारतीय कृषि का केवल $\frac{1}{4}$ भाग

भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति की चर्चा करें
↳ रोजगार
↳ निर्भरता
↳ GDP योगदान इत्यादि

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ही विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के तहत आता है अतः शेष क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों से निपटने हेतु सरकार द्वारा ऋण माफी आवश्यक हो जाती है।

युक्तिसंगत क्यों नहीं?

(i) अधिकांशतया ऋणमाफी को राजनैतिक स्वार्थपूर्ति का उपकरण समझा जाता है।

(ii) अन्य लोगों / राज्यों में समानान्तर मांगें उत्पन्न कर सकता है। किसान व कृषि ऋणों को बढ़ावा दे सकता है।

(iii) बैंकों की एनपीए की समस्या को बढ़ावा?

(iv) राजकोषीय भार में वृद्धि व राजकोषीय उत्तरदायित्वहीनता का प्रतीक

वस्तुतः आवश्यक संदर्भों में ऋण माफी का विचार केवल अस्थायी राहत है क्योंकि:-

क) केवल संस्थागत ऋण प्राप्त किसान ही लाभार्थी
ख) असंस्थागत किसान लाभ से वंचित
ग) सीमांत व खेतिहर, जोतदार किसान लाभ से वंचित

अतः सरकार को इस हेतु एक समग्र नीति अपनानी चाहिए:-

⇒ ↳ निर्णयन क्षमता
↳ अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रभाव
↳ कार्यक्षमता में कमी
↳ इसके अलावा, एम.एस. स्वामीनाथन के विचारों की भी चर्चा करें।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

उपाय

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा यथाशीघ्र बढ़ाना

(ii) मॉडल ... हीया भारत में सुधार

(iii) कृषि आधारित उद्योगों व कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण व किसानों को ऐसे उद्योग स्थापित करने हेतु सब्सिडी

(iv) कृषि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार,
(i) स्वच्छ सिंचाई
(ii) ... पद्धति को बढ़ावा

(v) ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का यथाशीघ्र पूरे भारत में विस्तार व सभी मंडियों को एकीकृत करना

(vi) कृषि के साथ-साथ हार्टिकल्चर को बढ़ावा क्योंकि सामान्य फसलों की तुलना में यह विपरीत परिस्थितियों में तुलनात्मक अधिक अनुकूल

3½

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	.25	1½	1-	.25	—	.25	
Grade	B	B	C	B		B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें **बीस** प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation